सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष : 2012–2013

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

Website : www.rajtaxboard.gov.in

Email : rajtaxboard@yahoo.co.in

0145- 2627803 (Phone & Fax)

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2012 – 2013

प्रस्तावना :

1.0 राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना दिनांक 01.05.1985 विक्रय कर से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों (द्वितीय अपील) का शीध्र निपटारा करने व निर्णयों में एकरूपता रखने के उद्देश्य से की गई थी ताकि गतिशील विक्रय कर अधिनियम व नियमों की सुसंगत व्याख्या की जा सके। अधिकरण के गठन से पूर्व विक्रय कर से संबंधित प्रकरणों में द्वितीय अपील के प्रावधान नहीं थे और उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग के प्रथम अपील आदेश के विरूद्ध केवल मात्र निगरानी ही राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हो सकती थी। दिनांक 01.10.1995 से राजस्थान विक्रय कर अधिकरण का नाम परिवर्तन कर **'राजस्थान कर बोर्ड'** कर दिया गया।

2.0 राजस्थान वित्त विधेयक, 2005 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–2 में संशोधन कर राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के स्थान पर राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को 'चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू ऑथोरिटी' घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड को स्टाम्प सम्बन्धित निगरानी सुनने, माननीय उच्च न्यायालय को रेफेरेन्स भिजवाने, पेनल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रिफण्ड आदि की शक्तियां प्रदान की गयी है। उक्त वित्त अधिनियम, 2005 के संशोधन दिनांक 24.03.2005 से प्रभावी हुआ है। जिसके अन्तर्गत राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित स्टाम्प सम्बन्धित विवादित प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित किये गये है जिनकी सुनवायी एवं निस्तारण कर बोर्ड द्वारा नियमित रूप से की जा रही हैं। राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 में कर बोर्ड को भूमि कर से संबंधित निगरानी सुनने की अधिकारिता दिनांक 25.09.2006 की अधिसूचना द्वारा प्रदान की गयी है।

2.1 राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2007 के द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9 क में हुए संशोधन के पूर्व आबकारी मामलों में आयुक्त आबकारी के निर्णयों के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर को अपील सुनने की अधिकारिता थी। उक्त संशोधन दिनांक 06.06.2007 से प्रभावी हुआ है एवं तदनुसार आबकारी आयुक्त के आदेशों के विरूद्ध अपील/रिवीजन की सुनवायी की अधिकारिता राजस्थान कर बोर्ड को प्राप्त हो गयी है। उक्त संशोधन के पश्चात् राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित आबकारी से संबंधित अपीलें/निगरानियां राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित की गयी हैं जिनकी सुनवायी कर, निस्तारण कर बोर्ड, अजमेर की खण्डपीठ द्वारा किया जा रहा है।

3.0 *गठन :*

वर्तमान में कर बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं पांच सदस्य पदस्थापित हैं। बोर्ड के सदस्यों को वेतन एवं भत्ते राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 9(7)(क) के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम स्केल स्तर के अधिकारी के समान देय है। इस सम्बन्ध में चयन आदि की प्रक्रिया नियम 9 के प्रावधानानुसार है।

3.1 कार्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु रजिस्ट्रार का पद सृजित है। इस पद पर दिनांक 28.01.1994 से राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के चयनित वेतन श्रृंखला/सुपर टाइम स्केल के अधिकारी कार्यरत हैं।

3.2 कर बोर्ड का वर्तमान गठन निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं	नाम	पद	अवधि
1.	श्री प्रेमसिंह मेहरा	अध्यक्ष	21.05.2012 से निरन्तर ....
2.	श्री पी.के.शास्त्री	सदस्य	03.08.2012 से निरन्तर ....
3.	श्री एच.एल.पाण्डे	सदस्य	31.07.2009 से निरन्तर ....
4.	श्री पी.आर.रतनू	सदस्य	25.07.2011 से निरन्तर ....
5	श्री जे.आर.लोहिया	सदस्य	25.07.2011 से निरन्तर ....
6.	श्री सुनील शर्मा	सदस्य	25.07.2011 से निरन्तर ....
7.	श्री एम.एल.विजय	रजिस्ट्रार	08.09.2011 से निरन्तर ....

श्री एच.एल.पाण्डे, श्री पी.आर.रतनू, सदस्य एवं श्री एम.एल.विजय, रजिस्ट्रार दिनांक 31.01.2013 को सेवानिवृत हो रहे है। श्री ओ.पी.सहारण, आर.ए.एस. दिनांक 30.11.2012 को सेवानिवृत हो गये।

4.0 राजस्थान कर बोर्ड में प्रशासनिक एवं न्यायिक पद

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	अध्यक्ष	1	1	–
2	सदस्य	6	5	1
3	रजिस्ट्रार	1	1	–
4	सहायक लेखाधिकारी	1	1	–
5	निजी सचिव	2	2	–
6	वरिष्ठ निजी सहायक	1	1	–
7	निजी सहायक	1	–	1
8	स्टेनोग्राफर	3	1	2
9	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	–
10	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	–
11	कार्यालय अधीक्षक	1	1	–
12	कार्यालय सहायक	2	2	–
13	वरिष्ठ लिपिक	8	7	1
14	कनिष्ठ लिपिक	12	10	2
15	वाहन चालक	4	4	–
16	जमादार	1	1	–
17	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14	13	1
18	प्रोसेस सरवर	3	2	1
योग		**63**	**54**	**9**

5.0 **बजट स्थिति :**

वर्ष 2012–2013 तक के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

(राशि रूपये लाखों में)

क्र.सं.	मद	बजट आवंटन (B.E.)	दिसम्बर, 2012 तक (रू.) व्यय
1	संवेतन	289.56	190.26
2	यात्रा भत्ता	3.50	3.41
3	चिकित्सा व्यय	3.00	2.39
4	वाहन संधारण	4.50	4.02
5	कार्यालय व्यय	17.10	15.54
6	पुस्तकालय	1.00	0.83
7	वाहन किराया	6.12	3.53
8	संविदा व्यय	7.68	2.69
9	वाहन क्रय	0.01	—
10	वर्दी	0.11	0.11

6.0 **पुस्तकालय :**

कर बोर्ड में एक पुस्तकालय है, जिससे माननीय बैंचों एवं अभिभाषकों के उपयोग हेतु विधि सम्बन्धी व अन्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में **7099** पुस्तकें उपलब्ध हैं।

7.0 **वर्षवार प्रकरणों की स्थिति :**

वर्ष 2010, 2011 एवं 2012 तीन वर्षों में दायर एवं निस्तारित (विक्रय कर/स्टाम्प/भूमिकर एवं आबकारी) प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	वाद	2010 (दिनांक 31.12.10)	2011 (दिनांक 31.12.11)	2012 (दिनांक 31.12.12)
1.	बकाया प्रकरण	6519	6845	7484
2.	दायर प्रकरण	2670	2989	2931
3.	निस्तारित प्रकरण	2344	2350	3227
4.	शेष प्रकरण	6845	7484	**7188**

कर बोर्ड में विचाराधीन प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। विक्रय कर/स्टाम्प एक्ट के जिन प्रकरणों में विवादास्पद कर राशि पांच लाख रुपए तक है उनकी सुनवायी एकलपीठ एवं जिन प्रकरणों में यह राशि पांच लाख से अधिक है, या कर दर संबंधी विवाद हैं, उन प्रकरणों की तथा आबकारी से संबंधित समस्त वादों की सुनवायी खण्डपीठ द्वारा एवं भूमि कर से संबंधित समस्त प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10 जनवरी, 2013 द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 31 के उपनियम 2 के खण्ड (iii) में किये गये संशोधन के अनुसार एकलपीठ द्वारा अपील प्रकरणों की सुनवाई की सीमा 5.00 लाख से बढ़ाकर 10.00 लाख प्रतिस्थापित की गयी हैं, तद्नुसार भविष्य में, प्रकरणों की सुनवायी की जायेगी। कतिपय परिस्थितियों में एस.बी./डी.बी. द्वारा कोई कानूनी बिन्दु निहित होने पर दो सदस्य से अधिक सदस्यों वाली पीठ (वृहद्पीठ) को निर्णय हेतु प्रकरण संदर्भित किया जाता है।

8.0 वर्ष 2012–13 के दौरान दिसम्बर, 2012 तक प्रकरणों के निस्तारण की माहवार प्रगति निम्नानुसार रही :–

1.1.2012 को शेष प्रकरण

डी.बी.	एस.बी.	कुल प्रकरण
2158	**5326**	**7484**

वर्ष 2012

माह	दायर वाद		निस्तारित वाद		शेष		योग
	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	
					B F 2158	**5326**	**7484**
जनवरी	93	196	75	237	2176	5285	7461
फरवरी	100	116	26	244	2250	5157	7407
मार्च	84	210	74	177	2260	5190	7450
अप्रेल	74	149	53	227	2281	5112	7393
मई	74	175	50	231	2305	5056	7361
जून	118	111	73	205	2350	4962	7312
जुलाई	103	140	88	204	2365	4898	7263
अगस्त	104	159	81	206	2388	4851	7239
सितम्बर	91	138	85	168	2394	4821	7215
अक्टूबर	95	126	65	160	2424	4787	7211
नवम्बर	91	133	85	165	2430	4755	7185
दिसम्बर	103	148	97	151	2436	4752	**7188**

9.0 अजमेर मुख्यालय पर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में चार एस.बी. द्वारा सुनवायी की जा रही है तथा माह के द्वितीय व चतुर्थ सप्ताह के प्रथम चार दिवसों में खण्डपीठ द्वारा सुनवायी की जा रही है।

अजमेर मुख्यालय के अलावा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ कैम्प जयपुर में प्रत्येक माह के प्रथम, तृतीय एवं पंचम् सप्ताह में योजना भवन में आयोजित की जाती है। जिसमें तृतीय एवं पंचम् सप्ताह में प्रथम तीन दिवसों में खण्डपीठ द्वारा लम्बित प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रथम सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में तथा तृतीय सप्ताह एवं पंचम् सप्ताह के प्रथम तीन दिवसों के अतिरिक्त शेष कार्य दिवसों में एकलपीठ द्वारा कैम्प जयपुर में लम्बित निगरानी एवं अपील प्रकरणों की सुनवायी की जा रही हैं। कैम्प जयपुर में गठित खण्डपीठ व एकलपीठ में मुख्यतः जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली, सीकर, झुन्झुंनूं, दौसा, एवं चूरू जिले के प्रकरणों की सुनवायी की जाती है। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं वादकारों की सुविधा हेतु राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा जोधपुर/उदयपुर में भी त्रैमासिक रूप से प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है।

10. राजस्थान कर बोर्ड में पदस्थापित अधिकारियों के कार्यालय/निवास के फोन नम्बर निम्नानुसार है :–

क्रमांक	*नाम*	*पद*	*मोबाईल*	*कार्यालय*	*निवास*
1	श्री प्रेमसिंह मेहरा	अध्यक्ष	9829070970	0145–2627903 (अजमेर) 0141–2229142 (जयपुर) 0141–2228790 (जयपुर)	0141–2709970
2	श्री पी.के.शास्त्री	सदस्य	9460177253	0145–2627296	–
3	श्री एच.एल.पाण्डे	सदस्य	9610099000	0145–2622981	0145–2429740
4	श्री पी.आर.रतनू	सदस्य	9829850512	0145–2627703	–
5	श्री जे.आर.लोहिया	सदस्य	9414047851	0145–2624657	–
6	श्री सुनील शर्मा	सदस्य	9414026983	0145–2630681	–
7	श्री एम.एल.विजय	रजिस्ट्रार	9314686125	0145–2627803	–

11. सूचना के अधिकार के अंतर्गत :–

: <u>लोक सूचना अधिकारी</u> :
श्री एम.एल.विजय, रजिस्ट्रार
Website : www.rajtaxboard.gov.in
Email : rajtaxboard@yahoo.co.in
0145- 2627803 (Phone & Fax)
9314686125 (Mo.)
निवास : द्वारा श्री सुनील टेलर
12, अनुपम नगर, भोपों का बाडा, अजमेर

: <u>विभागीय अपीलेट आर्थोरटी</u> :
श्री प्रेमसिंह मेहरा, अध्यक्ष
Website : www.rajtaxboard.gov.in
Email : rajtaxboard@yahoo.co.in
0145- 2627903 (Phone)
9829070970 (Mo.)

12. **: <u>मुख्य सर्तकता अधिकारी</u> :**
श्री एम.एल.विजय, रजिस्ट्रार
Website : www.rajtaxboard.gov.in
Email : rajtaxboard@yahoo.co.in
0145- 2627803 (Phone & Fax) 9314686125 (Mo.)
निवास : द्वारा श्री सुनील टेलर, 12, अनुपम नगर, भोपों का बाडा, अजमेर

---------------------- ----------------------